संख्या-73/2018/1605/सैंतीस-2-2018-1(39)/07

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-04 मई, 2018

विषयः- **पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-25/सा0-1/एक्स-120(187)/2016-17, दिनांक-13.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-04-पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) के मानक मद 29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि रू0-100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व प्रस्तावित कार्य हेतु गठित आगणन पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/शासन, जो भी सक्षम स्तर हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
8. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-04-पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना)-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-73/2018/1605(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-73/2018/1605/सैंतीस-2-2018-1(39)/07, दिनांक-04 मई, 2018 का संलग्नक:-

पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) वर्ष 2018-19

क्र0 सं0	जनपद का नाम	संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	सहारनपुर	1	1.00
2	बिजनौर	2	2.00
3	रामपुर	1	1.00
4	मेरठ	2	2.00
5	बागपत	1	1.00
6	गाजियाबाद	1	1.00
7	गौतमबुद्ध नगर	1	1.00
8	हापुड़	1	1.00
9	अलीगढ़	2	2.00
10	हाथरस	2	2.00
11	एटा	3	3.00
12	आगरा	3	3.00
13	फिरोजाबाद	3	3.00
14	मथुरा	2	2.00
15	बदायूं	3	3.00
16	बरेली	3	3.00
17	पीलीभीत	2	2.00
18	शाहजहांपुर	1	1.00
19	खीरी	2	2.00
20	सीतापुर	2	2.00
21	रायबरेली	2	2.00
22	फर्रूखाबाद	2	2.00
23	कन्नौज	2	2.00
24	इटावा	2	2.00
25	औरैया	2	2.00
26	ललितपुर	2	2.00

http://shasanadesh.up.nic.in

27	हमीरपुर	2	2.00
28	महोबा	2	2.00
29	बांदा	2	2.00
30	चित्रकूट	2	2.00
31	फतेहपुर	2	2.00
32	प्रतापगढ़	2	2.00
33	इलाहाबाद	2	2.00
34	बाराबंकी	2	2.00
35	फैजाबाद	2	2.00
36	अम्बेडकर नगर	2	2.00
37	बलरामपुर	2	2.00
38	गोण्डा	2	2.00
39	सिद्धार्थ नगर	2	2.00
40	बस्ती	2	2.00
41	संत कबीर नगर	1	1.00
42	महराजगंज	2	2.00
43	गोरखपुर	3	3.00
44	कुशीनगर	2	2.00
45	देवरिया	3	3.00
46	बलिया	2	2.00
47	गाजीपुर	2	2.00
48	वाराणसी	3	3.00
49	मिर्जापुर	2	2.00
50	आजमगढ़	2	2.00
योग-		**100**	**100.00**

(रूपये एक करोड़ मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।